न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–दतिया P 658-I-17

कबीना पुत्री स्व. श्री अलीबहादुर
निवासी–उस्ताद की हवेली दतिया तहसील
व जिला–दतिया (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– शमा पुत्री स्व. श्री अलीबहादुर
निवासी – बडा बाजार खान सिंह की हवेली
के पास मस्जिद के सामने दतिया (म.प्र.)

2– अंजुम पुत्री स्व. श्री अलीबहादुर

3– गुलनाज पुत्री स्व. श्री अलीबहादुर

4– नायब जेहरा बेवा स्व. श्री मुजफ्फर अली
निवासीगण–उस्ताद की हवेली दतिया
तहसील व जिला–दतिया (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 125/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, दतिया गिर्द में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1589/दो रकवा 0.840, 1590/2 रकवा 0.223, 1596/1/2 रकवा 0.632 सर्वे क्रमांक 1598 रकवा 0.008 कुल किता 4 कुल रकवा 0.803 है0 आवेदक एवं अनावेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की शामिल खाते की भूमि है। जिसके बंटवारा हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत तहसीलदार दतिया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो प्रकरण क्रमांक 26/अ–27/2014–15 पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 27.04.2015 से सहमति के आधार पर बंटवारा आदेश पारित किया गया।

2– यहकि, तहसीलदार दतिया के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 प्रथम अपील अवधि बाह्य अनुविभागीय अधिकारी दतिया के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी जो प्रकरण क्रमांक 125/2015–16 पर पंजीबद्ध की जाकर आदेश दिनांक 16.01.2017 से समय सीमा में मान्य किये जाने का

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–658–एक / 2017 जिला–दतिया

कबीना विरूद्ध शमा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
31–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दतिया, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 125 / 2015–16 / अपील में पारित आदेश दिनांक 16–01–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 31/5/19	